न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी—नरेश कुमार शर्मा
आई0ए0एस0

ना0 अपील सं0 16 / 2017

सुशीला उम्र 35 वर्ष पत्नी सरदार सिंह जाति गुर्जर निवासी जसोता तहसील दौसा जिला दौसा ..अपी0

बनाम

राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार दौसा ..रेस्पो0

अपील विरुद्ध नामान्तरकरण सं0 59 दिनांक
03.05.2005 व न्यायालय तहसीलदार, दौसा

उपस्थिति—1. श्री सतीश कुमार शर्मा, अधिवक्ता अपीलांट पक्ष
2. श्री चंद्रशेखर शर्मा राजकीय अधिवक्ता पैरोकार सरकार

दिनांक:11.10.17

निर्णय

संक्षिप्त वृतांत अपील इस प्रकार है कि तहसीलदार, दौसा ने दिनांक 03.05.2005 को नामान्तरकरण सं0 59 अपीलांट के नाम आवंटन के आधार पर तस्दीक कर दिया गया था। इसी आदेश से असंतुष्ट होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पो0 को तलब किया गया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मंगवायी गयी । बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट पक्ष की बहस में दलील है कि आराजी खसरा नंबर 62 / 100 रकबा 0.15 है0, 63 / 101 रकबा 0.14 है0, 65 / 102 रकबा 0.22 है0, 80 / 105 रकबा 0.03 है0, कुल किता 4 कुल रकबा 0.54 है0 वाके ग्राम चक जसोता तहसील दौसा मे स्थित सिवायचक भूमि का आवंटन अपीलांट व उगन्ती पत्नी विश्राम जाति गुर्जर निवासी जसोता को दिनांक 02.05.2005 को आवंटन कमेटी द्वारा किया गया है। उक्त आवंटन का गैर खातेदारी का नामान्तरकरण तहसीलदार दौसा द्वारा नामान्तरकरण संख्या 59 दिनांक 03.05.2005 को तस्दीक किया गया। जिसका पटवारी हल्का द्वारा नामान्तकरण भरते हुए अपीलांट का नाम सुशीला के स्थान पर सुनिता अंकित कर दिया गया। जबकि अपीलांट का नाम सुशीला है और आवंटन भी सुशीला के नाम ही हुआ है। अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार दौसा ने उक्त जेर अपील नामांतकरण विधि तथ्यों एवं प्रकिया के विपरीत तस्दीक किया है। अतः अपील

अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलांट का नाम सुनिता के स्थान पर सुशीला दर्ज करने के आदेश प्रदान करावें।

राजकीय अधिवक्ता की बहस मे दलील है कि प्रश्नगत भूमि का नामान्तरकरण तहसीलदार द्वारा आवंटन के आधार पर खोला गया है। अपीलांट द्वारा अपने नाम की त्रृटि के सबंध में कोई दस्तावेजी सबूत पेश नहीं किये गये हैं । इसलिए प्रकरण की आवश्यक जॉच करना जरुरी है। हॉलाकि भूमि आवंटन हुई है और तदनुसार ही नामान्तरकरण तस्दीक किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रकरण रिमाण्ड किया जाने योग्य है।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि ग्राम चक जसोता तहसील दौसा मे स्थित सिवायचक भूमि का आवंटन उगन्ती पत्नी विश्राम व सुशीला पत्नी सरदार सिंह जाति गुर्जर निवासी जसोता को दिनांक 05.04.2005 को आवंटन कमेटी द्वारा किया गया है। उक्त आवंटन का गैर खातेदारी का नामान्तरकरण तहसीलदार दौसा द्वारा नामान्तरकरण संख्या 59 दिनांक 03.05.2005 उगन्ती पत्नी विश्राम व सुनीता पत्नी सरदार सिंह जाति गुर्जर निवासी जसोता के हक में तस्दीक किया गया है। हॉलाकि अपीलांट द्वारा अपने कथन की पुष्टि में ऐसे कोई प्रमाण न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किये गये। इसलिए प्रकरण पर सीधा कोई कार्यवाही करना उचित प्रतीत नहीं होता है। न्याय हित को मध्य नजर रखते हुए अधीनस्थ न्यायालय को प्रकरण रिमाण्ड किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रुप से स्वीकार की जाती है। अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.05.2005 निरस्त किया जाता है । तहसीलदार दौसा को प्रकरण प्रति प्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि प्रकरण से संबंधित दस्तावेजों की जॉच करते हुए पक्षकारान को साक्ष्य/सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर इस न्यायालय के प्रकाश में विधि सम्मत निर्णय पारित करें । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रति सहित प्रेषित की जावें । बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भण्डार हो ।

(नरेश कुमार शर्मा)
जिला कलेक्टर, दौसा
जिला कलेक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांकः 11 अक्टूबर, 2017 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(नरेश कुमार शर्मा)
जिला कलेक्टर, दौसा
जिला कलेक्टर, दौसा